(Public Hearing Minutes)

पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु जनसुनवाई दिनांक 28.01.2026 का कार्यवृत

श्री विजय सिंह मीणा द्वारा प्रस्तावित क्लस्टर मैसनरी स्टोन (लघु खनिज) खनन परियोजना, एम.एल. संख्या / प्लॉट संख्या - 12/2024, एरिया - 2.0689 हैक्टर, (प्रस्तावित) उत्पादन क्षमता – 200000 TPA (ROM), कलस्टर क्षेत्रफल 48.83 हैक्टर, निकट ग्राम - छकड़ा, तहसील - वजीरपुर व जिला - सवाई माधोपुर, (राजस्थान) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक लोक जन सुनवाई **दिनांक 28.01.2026 को प्रातः 11:00 बजे ग्राम पंचायत - श्यारौली के 'भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र", श्यारौली, तहसील - वजीरपुर, जिला - सवाई माधोपुर** में श्री सुदर्शन सिंह तोमर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी (जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रतिनिधी) एवं श्री बलजीत मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाईमाधोपुर की उपस्थिति में आयोजित की गई। जनसुनवाई के दौरान 33 लोग उपस्थित रहे। (उपस्थिति पत्र **"परिशिष्ट अ"** पर संलग्न है)।

जनसुनवाई हेतु आम सूचना समाचार पत्र सवाई माधोपुर जिलें के गुलाबी हलचल एवं दैनिक भास्कर के संस्करण में दिनांक 18.12.2025 में प्रकाशित करवा दी गई थी एवं मुनादी एक दिवस पूर्व दिनांक 27.01.2026 को ग्राम - छकड़ा एवं ग्राम पंचायत - श्यारौली में करवाई गई।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, श्री बलजीत मीणा, द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी एवं उपस्थित आमजन का स्वागत करते हुये बताया कि आज की जनसुनवाई ग्राम - छकड़ा में प्रस्तावित क्लस्टर मैसनरी स्टोन (लघु खनिज) खनन परियोजना के खनन पट्टा प्लॉट न. 12/2024 के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत यह लोक सुनवाई आयोजित कि जा रही है। जिसमें खनन परियोजना पर्यावरणीय सलाहकार आपको परियोजना के बारे में विस्तार से बताएगें जिसके उपरान्त इस परियोजना से सम्बन्धित आपके सुझाव एवं आपत्तियाँ ली जाऐगी, जो आप केमरें के सामने मौखिक या लिखित दे सकते हैं।

जिसके उपरान्त खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार डॉ. मोहम्मद आरिफ़ ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अनुमति से प्लॉट न. 12/2024 से सम्बन्धित खनन परियोजना, खनन कार्य से पडने वाले पर्यावरणीय प्रभाव एवं संरक्षण, जल गुणवत्ता, सुरक्षा एवं सामाजिक दायित्व (सी. एस.आर) आदि के बारे में पॉवर पॉईन्ट प्रजेन्टेशन की सहायता से विस्तार से बताया।

इसके उपरांत क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ग्रामवासियों से अनुरोध किया गया कि आप सभी ने इस परियोजना की जानकारी को सुना, समझा अगर अभी भी कुछ समझ मे नही आया है तो आप पुनः पूछ सकते है तथा इस परियोजना से सम्बन्धित आपके कोई सुझाव आपत्ति हो तो आप खड़े होकर एक- एक करके यहा दर्ज़ करा सकते है।

सुदर्शन सिंह तोमर (R.A.S)
अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
मु० गंगापुर सिटी (स०मा०)

इसके उपरांत अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय ने बताया की इस परियोजना के सन्दर्भ मे पर्यावरणीय सलाहकार ने सभी बाते आपके सामने रखी हैं। जैसे पानी का छिड़काव करेंगे, मजदूरो के लिए सुरक्षा उपकरण उलब्ध करायेंगे, पेड़ लगायेगें तथा इसमें कुल 40 लोगों को काम देगें जिसमे 20 कुशल व 20 अकुशल मजदूर होगें इससे भी स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा इनकों कमाने के लिए बाहर नही जाना पडेगा। यहाँ परियोजना प्रस्तावक, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाई माधोपुर के अधिकारी, पर्यावरण सलाहकर सभी बैठे है अगर कोई आंशका, सुझाव शिकायत हो तो वह पूछ सकता है।

इसके पश्चात ग्रामवासी सोहन सिंह निवासी श्यारौली द्वारा कहा गया कि लीज होल्डर हमारे काश्तकार की जमीन का प्रयोग नहीं करे, तथा हमारा विरोध स्टोन क्रेशर के लिए है।

इसके पश्चात क्षेत्रिय अधिकारी द्वारा पर्यावरण सलाहकार से लीज में भूमि की स्थिति बताने का अनुरोध किया।

इसके पश्चात पर्यावरण सलाहकार ने बताया की उक्त भूमि राजकीय भूमि है तथा यह पहाडी क्षेत्र पर स्थित है। इसमे किसी काश्तकार की भूमि का उपयोग नही किया जाएगा तथा स्टोन क्रेशर लीज में प्रस्तावित नही है।

इसके बाद ग्रामवासी सोहन सिह ने कहा कि हमें खनन की लीज' से कोई आपत्ति नहीं है हमारा विरोध सिर्फ स्टोन क्रेशर वालों से है।

इसी दौरान ग्रामवासियों द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर महादेय के समक्ष क्षेत्र में प्रस्तावित अन्य क्रेशर प्लान्ट के सम्बन्ध में लिखित में शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया। (पत्र "परिशिष्ट ब" पर संलग्न है)

तत्पश्चात अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि यह सरकार द्वारा सरकारी भूमि पर मंशा पत्र खनन हेतु जारी किया गया है। इस लीज पर कोई क्रेशर नहीं लगा रहें हैं| आप खनन लीज से सम्बन्धित कोई सुझाव अथवा शिकायत हो तो दर्ज करवा सकते है।

इसके बाद क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि लीज पर किसी प्रकार का स्टोन क्रेशर प्रस्तावित नहीं हैं । अगर ये भविष्य में लीज पर क्रेशर लगाते है तो इन्हे पुनः पर्यावरण स्वीकृति के लिए आना पडेगा। अभी ऐसा कोई प्रस्ताव लीज पर नहीं है | यह जनसुनवाई सिर्फ खनन परियोजना के लिए है। अतः इससे सम्बन्धित कोई शिकायत सुझाव हो तो दर्ज करवा सकते है।

ग्रामवासी गुमान सिंह निवासी श्यारौली ने कहा कि गांव में लीज की वजह से रास्तों की हालात खराब हो' जाएगी इससे सभी किसान परेशान होंगे। इसके लिए क्या किया जायेगा।

इसके प्रति उत्तर में पर्यावरण सलाहकार डॉ. मोहम्मद आरिफ ने बताया कि पर्यावरण प्रबंधन बजट के अन्तर्गत सड़कों के रख रखाव हेतु 15 लाख रुपये की पूजी लागत के रूप में तथा 2 लाख रुपये आवर्ती लागत के रूप में प्रस्तावित है| इससे सड़कों का रख रखाव किया जाएगा |

इसके पश्चात ग्रामवासी गुमान सिह श्यारौली ने कहा कि सड़कों के लिए अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो क्या होगा ?

सुदर्शन सिंह तोमर (R.A.S)
अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
मु० गंगापुर सिटी (स०मा०)

इसके प्रति उत्तर में पर्यावरण सलाहकार ने कहाँ की पर्यावरण स्वीकृति जारी होने के पश्चात प्रत्येक छः माह में कम्पलाइन्स जाती हैं जिसमे इसका ब्योरा जाता है। अतः ये सब कार्य करवाये जाएंगे|

इसके पश्चात क्षेत्रिय अधिकारी ने कहा कि इनके द्वारा धूल को दबाने के लिए पानी का छिड़काव करने तथा सड़क के दोनों तरफ पेड लगायेंगें। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो आप इनकी शिकायत कर सकते हैं, हम कार्यवाही करेगें ।

इसके पश्चात पर्यावरण सलाहकार ने ग्रामवासीयो को बताया की ये परियोजना प्रस्तावित है तथा इसमे जो पर्यावरण प्रबंधन के प्रावधान किये गये हैं। वो पूर्ण किये जायेगें।

इसके पश्चात क्षेत्रिय अधिकारी ने कहा कि जब कोई उधोग अथवा परियोजना क्षेत्र में आती है तो उसमे गावं का भी विकास होता है। रोजगार के अवसर पैदा होते है। अगर उद्योग नही आयेंगे तो गाँव का विकास नहीं होगा।

ग्रामवासी दीवान मीणा श्यारौली ने कहा की यह पहाड़ गांव में है। गावं का गरीब आदमी या कोई व्यक्ति पहाड़ से पत्थर या मिट्टी की ट्रोली ले आता है तो उस पर खनन विभाग चालान कर देता है तो गाँव को कुछ छूट देनी चाहिये।

इसके पश्चात क्षेत्रिय अधिकारी ने समझाया कि किसी भी प्रकार के खनिज पर सरकार का नियंत्रण होता है तथा सरकार नियमानुसार खनन के लिए स्वीकृति प्रदान करती है। आप इस प्रकार अवैध खनन नही कर सकते ।

इसके पश्चात श्री अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि खनिज सम्पदा पर सरकार का पूर्ण संरक्षण होता है अगर आपकी निजी भूमि पर भी कोई खनिज है तो वह आप बिना सरकार की स्वीकृति के खनन नहीं कर सकते आपको नियमानुसार सरकार द्वारा जारी प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा इसके बाद ही आप खनन कर सकते है। परंपरागत कोई कार्य अगर कर रहे है तो उसकी छूट है उसकी आड में पहाड़ पर अवैध खनन नही कर सकते हैं| अगर एसा करते हो तो कार्यवाही होगी। अगर आपको खनन करना है तो नियमानुसार खनन विभाग में आवेदन करो और नियमानुसार स्वीकृतियाँ प्राप्त कर खनन कार्य करो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

इसके पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार जनसुनवाई के समापन की घोषणा करते हुए सभी ग्रामवासियों को आस्वस्त किया कि जनसुनवाई के दौरान आप द्वारा प्रस्तुत लिखित एवं मौखिक रूप से प्राप्त सुझाव एवं आपत्तिया आगे भिजवाई जा रही है, जिनका समिति द्वारा अध्ययन करके ही उचित निर्णय लिया जावेगा एवं सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी
सवाईमाधोपुर

(श्री सुदर्शन सिंह तोमर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

सुदर्शन सिंह तोमर (R.A.S)
अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
मु० गंगापुर सिटी (स०मा०)

जन सुनवाई हेतु नामित, पदाधिकारियों, ग्रामवासी / जनप्रतिनिधियों का उपस्थिति पत्र

मैसर्स विजय सिंह मीणा पुत्र श्री दीपचन्द्र मीणा द्वारा मैसनरी स्टोन (लघु खनिज) खनन परियोजना, मैसर्स विजय सिंह मीणा खनन परियोजना एम.एल.संख्या / प्लॉट न. 12 / 2024, एरिया 2.0689 हैक्टर, उत्पादन क्षमता – 200000 टन (ROM), कलस्टर क्षेत्रफल – 48.83 हैक्टर, निकट ग्राम– छगड़ा, तहसील – वजीरपुर व जिला – सवाई माधोपुर, (राजस्थान) में स्थित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 28.01.2026 को आयोजित जनसुनवाई की बैठक।

जनसुनवाई स्थल :– **ग्राम पंचायत – श्यारौली के "भारत निर्माण राजीव गॉधी सेवा केन्द्र", श्यारौली, तहसील – वजीरपुर, जिला – सवाई माधोपुर ।**

दिनांक : 28.01.2026.

समय : प्रातः 11.00 बजे।

उपस्थिति पत्र

क्र.स.	नाम	पद / पता	मोबाईल न.	हस्ताक्षर
1	Sudarshan Singh Tomar	ADM-GHC-Distt-SWM	9828410620	[signature]
2	Baljeet Meena	RO, RSPCB, SWM		[signature]
3	[illegible]	[illegible]	9782066927	[signature]
4	Dr. Mohammed Arif	EIA Coordinator SBA Environgreen	8104771896	[signature]
5	Majid Khan	" "	9672444222	[signature]
6	Tara Chand	" "	7792921278	Tara Chand
7	ADIL AHMED	WAZIRPUR Plot NO-21&27	9460151537	[signature]
8	[illegible]	[illegible]	9414784480	[signature]
9	[illegible]	Shyarouli	9549858903	[signature]
10	[illegible]	[illegible]	9460440448	[signature]

11	विजय सिंह मीना / पैलकापुरा (Mine Owner)	वजीरपुर (Mine Owner) Plot - 17/2024 & 22/2025	9982480849	विजयसिंह मीना
12	राजीव कुमार	श्यारोली	9799858342	राजीव
13	तेजसिंह चौधरी	श्यारोली	9928423649	[illegible]
14	दीवान			दीवान
15	आजाद	वजीरपुर	9829465134	
16	[illegible]	श्यारोली		[illegible]
17	भगवान सिंह	श्यारोली	8508094565	भगवान सिंह
18	सैनी	वजीरपुर	—	सैनी
19	~~[illegible]~~	~~वजीरपुर~~	7689947959	[illegible]
20	सफीक	वजीरपुर	8058967328	[illegible]
21	इनायत	वजीरपुर	9571603628	[illegible]
22	प्रेमसिंह माली	वजीरपुर	9785289273	[illegible]
23	बोदी सैनी	श्यारोली		[illegible]
24	समील	श्यारोली	7689947959	[illegible]
25	सुलेमान	श्यारोली	8118831316	[illegible]
26	कविता महावर पटवारी श्यारोली		9530314164	[illegible]
27	नेमीचन्द बैरवा	ILR सेवा	9783829448	[illegible]
28	रामवीर	श्यारोली	6377034714	[illegible]
29	बिरदू सैनी	वजीरपुर	8955281691	बिरदू सैनी
30	सूरज	[illegible]	8890318473	[illegible]

31	मोरालोवी साकिर	इयाटोली	8058915405	[illegible]
32	रमेश शर्मा	इमालोटी	9829935427	[illegible]
33	मुहम्मद साजिद	नसीरपुर	6377437248	[illegible]
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

28/01/2026

सेवा में

श्रीमान ADM महोदय
कैम्प प्रभारी अटल सेवा केन्द्र
श्यारौली

R.O. PCB - Smr

विषय :- क्रेशर प्लांट हेतु अनुमति नही देने के सम्बन्ध मे

महोदय :- उपरोक्त विषय में लेख है की पिछले कुछ समय से बाहरी धनाढ्य लोग स्थानीय आबादी एवं जलाश्य समीप जमीनों की खरीद फरोख्त कर रहे है, कुछ लो[illegible] ने जमीने खरीदी भी है, जिसका मकसद क्रेशर प्ला[illegible] बताया जा रहा है, जिनका खसरा नम्बर 3655/26[illegible] 2715, 2716 व अन्य जो की गरगटी जलाश्य के समी[illegible] एवं आबादी से महज 200-300 मीटर की दूरी पर [illegible] महोदय चूंकी ये धनवान लोग है, इसलिए हमें संदेह [illegible] निचले स्तर पर भ्रष्टाचार कर नियमो की अवहेल[illegible] कर उक्त लोग क्रेशर हेतु भू-रूपान्तरण कही कर[illegible] जबकी उपरोक्त खसरा नम्बरों के मध्य से 765[illegible] हाईटेंशन विद्युत लाईन गुजर रही है.

सभी बिन्दुओ को ध्यान में रखते हुए [illegible] आमजन की जमीने व नस्ले खराब ना हो वन्य जीवों [illegible] जलाश्यों में साफ पानी मिलता रहे है,

अत: श्रीमान जी से निवेदन है की क्रेशर [illegible] हेतु उक्त नम्बरो पर भू-रूपान्तरण [illegible] जाये।

आमजन श्यारौली

तारा सिंह
गौरव सिंह
सुनीत
पूरण
मुरारी
Deepak
रामकुमार
रोहित
गजेन्द्र सिंह
सुगर सिंह [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

existing line or underground cable;

(b) the wages of labour employed in the alteration; and

(c) the supervision charge to the extent of fifteen per cent of the wages mentioned in clause (b) and charges incurred by the owner or supplier or consumer in complying with the provisions of section 67 of the Act, in respect of alterations.

(5) Any addition or alteration to the building or structure shall be allowed only after the deposit of such estimated cost to the supplier or owner.

(6) No work upon such building, structure, flood bank, road and addition or alteration thereto shall commence or continue until the Electrical Inspector certifies that regulations 60, 62 , 63, 66 and regulation 79 have not been contravened either during or after the construction:

Provided that the Electrical Inspector may, if he is satisfied that the overhead line or underground cable has been so guarded as to secure the protection of persons or property from injury, certify within fifteen days that the work may be executed prior to the alteration of the overhead line or underground cable or in the case of temporary addition or alteration, without alteration of the overhead line or underground cable.

(7) The supplier or owner shall, on receipt of such deposit, alter the overhead line or underground cable in such a way that it does not contravene the regulations 60, 62, 63 and 79 either during or after such construction within two months from the date of such deposit or within such longer period as the Electrical Inspector may permit for reasons to be recorded in writing.

66. **Transporting and storing of material near electric lines.** – (1) No rods, pipes or similar materials shall be taken below, or in the vicinity of any bare overhead conductors or lines:

Provided that if these materials contravene the regulations 62 and 63, such materials shall be transported under the direct supervision of a person designated or appointed or engaged or permitted under these regulations.

(2) No rods, pipes or other similar materials shall be brought within the flash over distance of bare live conductors or overhead lines.

(3) No material or earth work or agricultural produce shall be dumped or stored, no trees grown below or in the vicinity of bare overhead conductors or lines in contravention to the regulations 62 and 63.

(4) No flammable material shall be stored under the electric line.

(5) No fire shall be allowed below overhead lines and above the demarcated underground cables.

67. **General clearances.** – (1) For the purpose of computing the vertical clearance of an overhead line, the maximum sag of any conductor shall be calculated on the basis of the maximum sag in still air and the maximum temperature as specified under regulation 59 and computing any horizontal clearance of an overhead line the maximum deflection of any conductor shall be calculated on the basis of the wind pressure specified under regulation 59.

(2) No blasting for any purpose shall be done within three hundred metre from the boundary of a substation or from the electric supply lines of voltage exceeding 650 V or tower structure thereof without the written permission of the owner of such substation or electric supply lines or tower structures; and in case of mining lease hold area, without the written permission of the Electrical Inspector of mines.

(3) No cutting of soil within ten metre from the tower structure of 110 kV and above voltage level shall be permitted without the written permission of the owner of tower structure.

(4) No person shall construct brick kiln or other polluting units near the installations or transmission lines of 220 kV and above within a distance of 500 metre.

68. **Routes in proximity to airport or aerodromes.** – Overhead lines shall not be laid in the vicinity of airport or aerodromes unless the Airport Authorities or concerned defence authorities have approved in writing the route of the proposed overhead lines as per relevant standards.

69. **Maximum interval between supports.** – All conductors shall be attached to supports at intervals not exceeding the safe limits based on the ultimate tensile strength of the conductor and the factor of safety specified under regulation 59:

Provided that in the case of overhead lines carrying conductors of voltage not exceeding 650 V when laid over, along or across any street, the interval shall not, without the consent in writing of the Electrical Inspector, exceed sixty five metre.

70. **Conditions to apply where telecommunication lines and power lines are carried on same supports:** – (1) Every overhead telecommunication line laid on supports of an electric line shall consist of conductors each

श्रीमान तहसीलदार महोदय
जनसुनवाई कैम्प
अटल सेवा केन्द्र (रथरौली)

विषय :- स्टोन क्रेसर हेतु मान्यता एवं भू-रुपान्तरण नहीं करने के सम्बन्ध में

महोदय

बिगत कुछ माह से कई धनाढ्य एवं क्षेत्रिय एवं बाहरीय बाहुबली एवं राजनैतिक लोग कृषि भूमि लेकर क्रेशर लगाने के लिए प्रयासरत है, कुछ ने अभी हाल ही में जमीनें खरीदी भी है।
जोकी आबादी के बिल्कुल समीप स्थित है वहा से आबदी बीरबल का पुरा लगभग 300 मी॰ रवालीपुरा 600 मी॰ बारे का पुरा 400 मीटर पर स्थित वही उन्ही खेतो से गरगरी तालाब व एनीकट महज 50 मी॰ पर स्थित या भू कहे की ये सभी खेत जो क्रेशर प्लांट के समोजनार्थ लिये ग वे सभी जल भराव के मुहाने परस्थित है, मवेशी व वन्यजीवों को पानी के एकमात्र जरिया है, वही 765 KV हाईटेंशन विद्युत लाईन भी इ खेतों के बीचों बीच से निकल रही है।
ऐसी स्थिति में किसी भी दृष्टिकोण :
स्टोन क्रेशर हेतु खसरा नम्बर 3655/2628, 2715, 2716 के क्रेशर भू-रुपान्तरण किया जाना उचित नही है,
अतः श्रीमान जी से करबद्ध निवेदन है की जनहित एवं के हितों को देखते हुए, उपरोक्त जमीनों में स्टोन क्रेसर हेतु -अनु प्रदान ना करते हुए आस-पास के लघु किसानों, एवं आमजन पर कृ

दिनांक
4-10-25

बीजेन्द्रसिंह

कालीचरन मुरारीलाल
गोविन्दसिंह सोहनासिंह

[signature]
7689916654

Rishi
मनीज

नारायण मालव का रेलवे के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा आत्मीय स्वागत किया गया तथा उनकी इस उपलब्धि पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं। उनकी यह सफलता यह दर्शाती है कि अनुशासन, निरंतर परिश्रम और मजबूत संकल्प से किसी भी कठिन लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

नवाचार, वन विभाग, हरियालो राजस्थान, बीएससी नर्सिंग कॉलेज, उज्ज्वला योजना, मनरेगा सहित जन सुनवाई एवं रात्रि चौपाल विभिन्न विभागों की उपलब्धियों से संबंधित प्रदर्शनी को देखा। जिला प्रभारी मंत्री ने सूचना केन्द्र में जिला विकास पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर जिला कलक्टर

उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत साक्षरता रथ किया रवाना

धौलपुर। उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला साक्षरता समिति श्रीनिधि बी टी के द्वारा जिले में साक्षरता के प्रचार-प्रसार के लिए साक्षरता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कलाजत्था, स्थानीय कलाकारों के माध्यम से सांस्कृति कार्यक्रम साक्षरता गीतों, नुक्कड़ नाटक का आयोजन गाँव, शहर की मुख्य जगहों, सार्वजनिक स्थ्लिनों, चैपालों पर किया जाएगा।

विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों का कार्मिक विभाग द्वारा किया गया औचक निरीक्षण

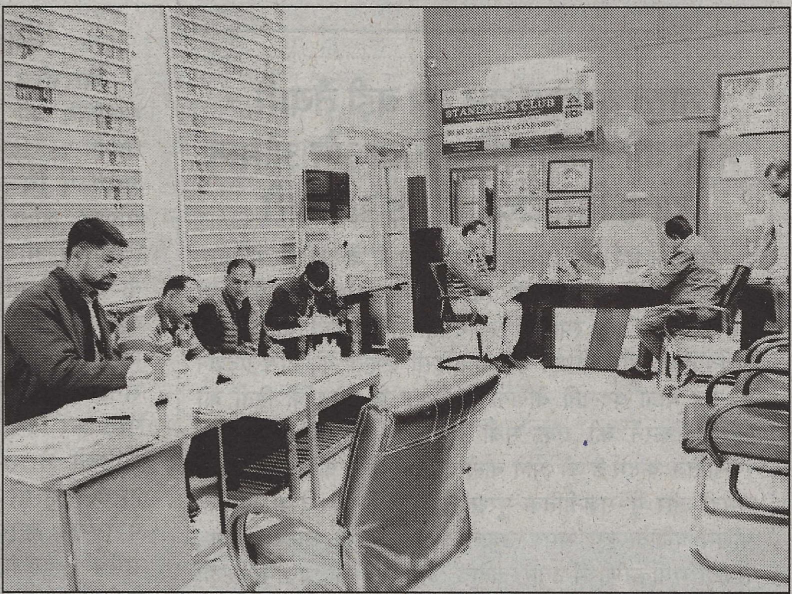

धौलपुर। मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना में प्रमुख शासन सचिव प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के निर्देशानुसार वरिष्ठ शासन उप सचिव केआर मीना एवं अतिरिक्त निदेशक निरीक्षण के नेतृत्व में राज्य स्तरीय निरीक्षण दल के सदस्य शासन उप सचिव सुनील कुमार शर्मा, महेन्द्र कुमार सरावता, अनुभाग अधिकारी, कैलाश मीणा, पुष्कर राज जाटव, अनुभाग अधिकारी एवं लिपिक ग्रेड-द्वितीय सुरेन्द्र सिंह, द्वारा प्रातः 9.45 बजे जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न राजकीय कार्यालयों, विभागों का आकस्मिक भौतिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न राजकीय कार्यालयों, विभागों की संधारित 71 उपस्थिति पंजिकाएं मौके पर ही जब्त की गई। कार्यालयों, विभागों के कुल 78 राजपत्रित में से 39 राजपत्रित अधिकारी अनुपस्थित पाये गये जो कि प्रतिशत की दृष्टि से 50 प्रतिशत है एवं कुल 654 अराजपत्रित कर्मचारियों में से 317 कर्मचारी अनुपस्थित पाये गये जोकि प्रतिशत की दृष्टि से 48.47 प्रतिशत है। इस प्रकार कुल 356 अधिकारी एवं कर्मचारी अनुपस्थित पाये गये। यह भी उल्लेखनीय है कि जिला मुख्यालय स्थित कुछ कार्यालय, विभागों के कमरों के ताले लगे हुये पाये गये जिनकी उपस्थिति पंजिकायें जब्त नहीं की जा सकी एवं उपस्थिति पंजिकाएं निर्धारित मापदण्डानुसार संधारित नही की जा रही है, साथ ही कई कार्यालयों में साफ-सफाई की व्यवस्थाएं सही नही पायी गयी तथा कई कार्यालयों में रिकॉर्ड अव्यस्थित पाया गया। विभागों द्वारा जारी समय-समय पर परिपत्रों की पालना सुनिश्चित नहीं की जा रही हैं। अनुपस्थित कार्मिको पर नियमानुसार सीसीए नियमों तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए रिपोर्ट उच्च स्तर पर प्रस्तुत की जायेगी।

...ा हुआ आयोजन

पंजीकृत 2879 ...न केन्द्र, ग्राम ...ार्यालय में भी ... नागरिकों के ...ह उल्लेखनीय है ... हेतु फॉर्म 6 ...ाइन बीएलओ ... विहित प्रक्रिया ... जाएगा। फॉर्म-...ध में भी सतत ...पना फॉर्म-6 ...ा वोटर सर्विस ...एलओ को भी ... सकते हैं। जो ...026 अथवा 1 ...ूर्ण कर रहें हों, ...ड़वाने के लिए ... भरकर अग्रिम आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आयोग के निर्देशानुसार इस संबंध में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बी टी अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई। प्रारूप मतदाता सूची की दो प्रतियाँ एक हार्ड एवं एक सॉफ्ट कॉपी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के उपस्थित प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई। उन्हें प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्तियों तथा नव मतदाता पंजीकरण हेतु फॉर्म-6 मय घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में भी जानकारी उपलब्ध कराई गई। घोषणा पत्र द्वारा आवेदक स्वयं अथवा उनके माता-पिता के नाम की गत गहन पुनरीक्षण से मैपिंग की जाती है। इसी के साथ जिले के विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की सुविधा हेतु 1200 से अधिक मतदाताओं वाले बूथों का भी पुर्नगठन किया गया। पूर्व में जिले में 942 मतदान केन्द्र थे, जिनका पुनर्गठन, सुव्यथीकरण कर 132 नवीन मतदान केन्द्र सृजित हुए हैं और वर्तमान में जिले में 1074 मतदान केन्द्र हो गये हैं।

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

प्लॉट संख्या 14-15, मीणा कॉलोनी, जेल के पीछे, सवाई माधोपुर (राज.) 322001

फोन नं.: 07462-294921, ई-मेल- rorpcb.swm@gmail.com

क्रमांकः रा.प्र.नि.मं./क्षे.का./स.मा.-856/1588-1591 दिनांकः 15.12.2025

पर्यावरण स्वीकृती हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री मैसर्स विजय सिंह मीणा पुत्र श्री दीपचन्द मीणा द्वारा मैसनरी स्टोन (लघु खनिज) खनन परियोजना, एम.एल. संख्या 12/2024, प्लॉट नं. 12, एरिया 2.0689 हैक्टर, (प्रस्तावित) उत्पादन क्षमता-2,00,000 TPA (ROM), कलस्टर क्षेत्रफल-48.83 हैक्टर, निकट ग्राम- छगड़ा, तहसील- वजीरपुर व जिला- सवाई माधोपुर के लिए पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

उक्त परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिर्पोट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-

(1) कार्यालय जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर।
(2) कार्यालय जिला परिषद, सवाई माधोपुर।
(3) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाई माधोपुर।
(4) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
(5) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।
(6) जिला उद्योग केन्द्र, सवाई माधोपुर।
(7) खनिज अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सवाई माधोपुर।

चूंकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत् भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर कम से कम 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन-सुनवाई **दिनांक 28.01.2026 को ग्राम पंचायत- श्यारौली के ''भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र'', श्यारौली, तहसील- वजीरपुर, जिला- सवाई माधोपुर में समय सुबह 11:00 बजे** उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित सुझाव/आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन से जनसुनवाई से पूर्व तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, सवाई माधोपुर मे भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज्ञा से

(बलजीत मीणा)

क्षेत्रीय अधिकारी

र्थियों को पुरस्कार दिए

विशेष समाज सेवा सम्मान

राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन प्रतिभाओं, स्वाध्याय प्रचार सम्मान, धार्मिक शिक्षण सम्मान, प्रतिक्रमण परीक्षा उत्तर पुस्तिका जांच कार्य सम्मान, चातुर्मास सेवा सम्मान, पांच सौ पौरसी सम्मान, तपस्वी सम्मान, चिकित्सा सेवा सम्मान, रचनात्मक सहयोग सेवा सम्मान से प्रतिभाओं को नवाजा गया। इस दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रजनी जैन गोटेवाला की ओर से सम्मानित कार्यकर्ताओं की सेवाओं की जानकारी देकर पोरवाल क्षेत्र में घर-घर धोवन पानी पीने व हर माह धर्म स्थान में संवर साधना की योजना प्रस्तुत की। श्राविका सुनीता नवलखा क्षेत्रीय प्रधान ने पोरवाल क्षेत्र की प्रगति प्रस्तुत की। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चातुर्मास समिति कुशल चन्द जैन गोटेवाला ने आध्यात्मिक चेतना गति प्रगति पत्रक के बारे में बताया। राष्ट्रीय अध्यक्ष संगीता बोहरा ने हमारा साथ संघ का विकास अभियान के क्रम में 21 सौ से 21 हजार तक सामर्थ्य अनुसार संघ सेवा में प्रेषित करने की अपील की।

बैठक हुई। बैठक में आगामी 28 दिसंबर को होने वाले खंडेलवाल समाज के स्नेह मिलन समारोह की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। यह समारोह सीता वाटिका, जीनापुर स्थित समाज की खरीदी गई नवीन भूमि पर किया जाएगा।

बैठक में कार्यक्रम को सफल रूप देने के उद्देश्य से समितियों का गठन किया गया तथा पदाधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गईं। बैठक में समिति अध्यक्ष डॉ. गोपाल लाल खूंटेटा ने कहा कि समाज की एकता और विकास के लिए सभी को मिलजुलकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने स्वच्छता, अनुशासन और सामूहिक सहभागिता को समाज की प्रगति का आधार बताया। संरक्षक राधेश्याम बढ़ाया, मंत्री कैलाश पितलिया, संगठन मंत्री श्याम सुंदर बंब, सत्यनारायण केदावत, वेद प्रकाश दुसाद, दीपक माचीवाल, सुरेश घीया, हनुमान प्रसाद खूंटेटा सहित कई पदाधिकारी एवं समाज के लोग उपस्थित रहे। भगवान गणेश जी को स्नेह मिलन समारोह का प्रथम निमंत्रण तैयार किया।

जिला महामंत्री रामजीलाल बैरवा ने बताया कि 28 दिसंबर को होने वाले बैरवा दिवस व प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल प्रतिभाएं 25 दिसम्बर तक अपना आवेदन जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि समाज की प्रतिभाएं खंडार में हरिलाल बैरवा एडवोकेट बलवीर बैरवा,मलारना डूंगर में कांजीराम बैरवा व्याख्याता, रामस्वरूप टटवाल, चौथ का बरवाड़ा में प्रहलाद बैरवा, बनवारी लाल बैरवा, बौंली में रामदयाल बैरवा, अध्यापक

गंगापुर सिटी में जागूलाल बैरवा, हरिलाल बैरवा, सवाई माधोपुर में बैरवा समाज धर्मशाला, बैंडवाल ट्रेडर्स, मुरादीया भवन खेरदा, तिलकर सदन मीणा कॉलोनी में जमा करवा सकते हैं। बैठक में जिला महामंत्री रामजीलाल बैरवा, मोती लाल मेहरा, जिला उपाध्यक्ष रमेश चंद टटवाल, बजरंग लाल वर्मा, बनवारी लाल बैरवा, प्रहलाद बैरवा, अरविंद कुमार तिलकर, बाबूलाल तिलकर, विनोद बैरवा सहित कई लोग मौजूद थे।

शिवाड़ गणेश मंदिर पर पौषबड़ा महोत्सव

भास्कर न्यूज | शिवाड़

सिद्धिविनायक गणेश मंदिर पर गणेश मित्र मंडल के तत्वावधान में पौषबड़ा महोत्सव का आयोजन हुआ। भक्तों की भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम से पूर्व गणेश जी की झांकी सजाई गई और उसके बाद गणेश जी को भोग अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। भजनों और जयकारों के बीच श्रद्धालु भगवान का प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे। इस धार्मिक आयोजन में भगवान को हलवा, पकोड़ी का भोग अर्पित किया गया। मंडल के कार्यकर्ताओं ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारी विधि-विधान के साथ की गई थी। 100 किलो बेसन की पकोड़ी, 50 किलो सूजी का हलवा का प्रसाद तैयार किया गया। भगवान को भोग लगाने के बाद भक्तों को

शिवाड़ | सिद्धि विनायक मंदिर में सजाई गई झांकी।

पंगत में बैठा कर प्रसादी जीमाई। श्रद्धालुओं ने प्रसाद के रूप में हलवा, पकोड़ी ग्रहण की। बड़ी संख्या में गणेश मित्र मंडल के कार्यकर्ता सहित ग्रामीण श्रद्धालु मौजूद रहे।

500 जरूरतमंदों को भोजन कराया

भास्कर न्यूज | सवाई माधोपुर

वतन फाउंडेशन की ओर से संचालित मोहब्बत की रसोई के एक साल 2 माह पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वतन फाउंडेशन के सभी सदस्यों ने मिलकर रसोई में विशेष रूप से भोजन तैयार किया और लगभग 500 जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया।

कार्यक्रम के दौरान चावल, बेसन की चक्की, लड्डू, बाटी सहित विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार किए गए। भोजन पाकर जरूरतमंदों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली।

या, 20 मिनट तक अठखेलियां ने मन मोहा

बच्चों ने करीब से देखा टाइगर

ने बाघ के किए दीदार।

श्य को सभी पर्यटकों ने अपने मरे में कैद भी किया। टाइगर धूप आनंद के साथ दीदार करता जर आया। टाइगर के दीदार से कूली बच्चों के चेहरे खुशी से म उठे।

बालेर | मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक रणथंभौर बाघ परियोजना सवाई माधोपुर शारदा प्रताप सिंह एवं उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक मानस सिंह की ओर से संचालित रणथंभौर बाघ संरक्षण कार्यक्रम के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बहरावंडा कला के छात्र-छात्राओं को निशुल्क वन भ्रमण करवाया गया। विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने राजीव गांधी क्षेत्रीय संग्रहालय का अवलोकन किया जिससे प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जागरूकता पैदा हुई। बच्चों ने इनके संरक्षण की शपथ ग्रहण की। इसके बाद उप वन संरक्षक कार्यालय की सोशलिस्ट ममता साहू द्वारा वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा के बारे में बताया गया।

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

प्लॉट संख्या 14-15, मीणा कॉलोनी, जेल के पीछे, सवाई माधोपुर (राज.) 322001
फोन नं.: 07462-294921, ई-मेल- rorpcb.swm@gmail.com

क्रमांक: रा.प्र.नि.मं./क्षे.का./स.मा.-856/1588-1591 दिनांक: 15.12.2025

पर्यावरण स्वीकृती हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री मैसर्स विजय सिंह मीणा पुत्र श्री दीपचन्द मीणा द्वारा मैसनरी स्टोन (लघु खनिज) खनन परियोजना, एम.एल. संख्या 12/2024, प्लॉट नं. 12, एरिया 2.0689 हैक्टर, (प्रस्तावित) उत्पादन क्षमता-2,00,000 TPA (ROM), कलस्टर क्षेत्रफल-48.83 हैक्टर, निकट ग्राम- छाड़ा, तहसील- वजीरपुर व जिला- सवाई माधोपुर के लिए पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

उक्त परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-

(1) कार्यालय जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर।
(2) कार्यालय जिला परिषद, सवाई माधोपुर।
(3) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाई माधोपुर।
(4) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
(5) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।
(6) जिला उद्योग केन्द्र, सवाई माधोपुर।
(7) खनिज अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सवाई माधोपुर।

चूंकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत् भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर कम से कम 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन-सुनवाई दिनांक 28.01.2026 को ग्राम पंचायत- श्यारौली के "भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र", श्यारौली, तहसील- वजीरपुर, जिला- सवाई माधोपुर में समय सुबह 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित सुझाव/आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन से जनसुनवाई से पूर्व तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, सवाई माधोपुर मे भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज्ञा से
(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी